@shahjahanpurpol

प्रेस नोट दिनांक 09.09.2021

अपराधियों के विरूद्ध शाहजहाँपुर पुलिस की बडी कार्यवाही,

ब्याज के पैसों की वसूली हेतु पूरे परिवार को प्रताडित कर सामूहिक आत्महत्या हेतु मजबूर करने वाले अपराधियो के विरुद्ध की गैंगस्टर एक्ट कार्यवाही।

दिनांक 07.06.2021 को मृतक अखिलेश कुमार गुप्ता पुत्र अशोक कुमार गुप्ता निवासी मो0 कच्चा कटरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर द्वारा अपने पत्नी रेशु गुप्ता ,पुत्र आर्यन उर्फ शिवांग गुप्ता ,व पुत्री अर्जिता गुप्ता के साथ सामूहिक आत्महत्या कर ली गयी थी। इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 271/2021 धारा 306 भादवि बनाम अविनाश वाजपेई पुत्र गोपाल कृष्ण वाजपेई निवासी मोहल्ला मरहईया कस्बा व थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए 24 घण्टे के अन्दर अभियुक्त अविनाश को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा व मुकदमें की विवेचना से प्रकाश मे आये अभियुक्तगण सुशील कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रघुनन्दन प्रसाद नि0 मोहल्ला कच्चा कटरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर व अभियुक्त मिथलेश कुमार पुत्र पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम जमौर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर को गिरफ्तार कर धारा 305/306/120बी भादवि व 10/22 साहुकारी अधिनियम में जेल भेजा गया था। अभियोग की विवेचना से इन अभियुक्तो के विरुद्ध साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया जा चुका है।

श्री एस आनन्द पुलिस अधीक्षक शाहजहाँपुर द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन मे उक्त अभियुक्तो के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने हेतु कडे निर्देश दिये गये ।

इसी क्रम मे दिनांक 08.09.21 को थाना कोतवाली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध गैंगस्टर की कार्यवाही करते मु0अ0सं0 473/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया, अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त अविनाश वाजपेई का एक संगठित गैंग था जो अपने साथी अभियुक्तगण सुशील कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रघुनन्दन प्रसाद नि0मोहल्ला कच्चा कटरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर व अभियुक्त मिथलेश कुमार पुत्र पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम जमौर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर के साथ मिलकर अवैध धन कमाने के उद्देश्य से लोगो को उधार पैसा देकर उनसे प्रतिमाह भारी रकम ब्याज पर वसूलते थे तथा इस पैसे के बन्धक के रुप में सम्पत्ति व मकान आदि अपने नाम करा लेते हैं तथा उस पर जबरदस्ती कब्जा कर लेते थे।

पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 473/2021 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

अभियुक्तगण का नाम :-

1- अविनाश वाजपेई पुत्र गोपाल कृष्ण वाजपेई निवासी मोहल्ला मरहईया कस्बा व थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर

2- सुशील कुमार गुप्ता पुत्र स्व0 रघुनन्दन प्रसाद नि0मोहल्ला कच्चा कटरा थाना कोतवाली जनपद शाहजहाँपुर।

3- मिथलेश कुमार पुत्र पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम जमौर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर।

अपराधिक इतिहास:--

1.मु0अ0सं0 271/21 धारा 305/306/120बी भादवि व 10/22 उ0 प्र0 सा0 अधि0 थाना कोतवाली बनाम अविनाश बाजपेई आदि 03 नफर

2. मु0अ0सं0 277/2021 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना कोतवाली बनाम अविनाश बाजपेई उपरोक्त

3.मु0अ0सं0 473/21 धारा 2/3 गैंग एक्ट थाना कोतवाली बनाम अविनाश बाजपेई आदि 03 नफर उपरोक्त